न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:– 09 / 2014

जी.सी.एम.एस न.– 2010 / 00006

सुखराम पुत्र लालूराम जाति बावरी निवासी सतराना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––– अपीलान्ट

बनाम्

1. मखनसिंह पुत्र बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी चक 88 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. पृथ्वीसिंह पुत्र बक्शीशसिंह जाति जटसिख निवासी चक 88 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. सरपंच ग्राम पंचायत 30 एपीडी, पंचायत समिति अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

––––रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश इतकाल सं.–384 दिनांक 11.02.2014 ग्राम पंचायत 90 जी.बी

वकील उपस्थित–

1. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट अपीलान्ट की ओर से
2. श्री गुरबक्श सिंह एडवोकेट रेस्पोडेंटस सं.–1 व 2 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांकः– 24/12/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के दादा सतिया पुत्र किशना कौम बावरी के नाम से चक 88 जी बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 20 पं.सं.–301 / 437 का किला नं.–3 का 0.126, 4 का 0.126 वा 6 ता 25 का 5.213 इस प्रकार कुल 5.465 हैक्टर नहरी खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी उक्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलांट के दादा सतिया पुत्र किशना को दिनांक 27.02.2010 को प्रदत हुऐ। अपीलांट के दादा सतिया पुत्र किशना का देहान्त दिनांक 13.07.1980 को हो चुका है। जिसके देहान्त उपरांत उसके दो पुत्र वारिस मंगलाराम वा लालूराम थे जिनकी भी मृत्यू हो चुकी है अपीलांट मृतक लालू पुत्र सतिया का विधिक एव जायज वारिस है तथा मंगला वल्द सतिया के रामचन्द्र व मंगली विधिक वारिसान है। इस प्रकार अपीलांट एवं रामचन्द्र व मंगली पिसरान मगलाराम मृतक सतिया के विधि एक एवं जायज वारिसान है। अपीलाट द्वारा अपने दादा के देहान्त उपरात उसके नाम की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने बाबत तहसीलदार, राजस्व, अनूपगढ़ के समक्ष कई प्रार्थना पेश किये तथा दिनाक 23.11.2011 को भी विरास्तन इन्तकाल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो लम्बित थे जिनके चलते रेस्पोडेन्ट सं.–3 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं.–1 व 2 के नाम तथाकथित बैयनामा दिनांक 30.12.1968 के आधार पर अपीलाधीन कृषि भूमि का इन्तकाल दिनांक 11.02.2014 को रेस्पोडेन्ट सं.–1 वा 2 के नाम स्वीकृत कर इन्तकाल सं.–384 वर्ज कर दिया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलाट की ओर से यह अपील निम्नलिखित आधारो [illegible] अधिनस्थ न्यायालय सरपच ग्राम पचायंत 90 जीबी का आलौच्य आदेश दि[illegible]014 कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो [illegible] काबिल निरस्ती के है। आलौच्य आदेश इन्तकाल सं.–384 दिनांक 11.02.2014 [illegible] अपील जिसे अपील का ही एक भाग समझा जा[illegible]। सरपंच ग्राम पचायंत [illegible] जी बी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, भू राजस्व [illegible]नियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानो की अनदेखी कर एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित जाकर आलौच्य आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः आलौच्य आदेश काबिल निरस्ती के है। इन्तकाल के कॉलम सं.–14 का अवलोकन किया जावे तो सरंपच द्वारा आलौच्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

इन्तकाल आदेश तथाकथित बैयनामा दिनांक 30.12.68 निर्णय एवं डिक्री श्रीमान एस डी एम सा. रायसिंहनगर एवं तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 05.02.2014 की पालना में पारित किया गया है। जबकि कथित निर्णय एवं डिक्री श्रीमान एस डी एम सा. रायसिंहनगर एवं तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 05.02.2014 पत्रावली पर मौजुद ही नहीं है और ना ही ऐसी कोई निर्णय एवं डिक्री श्रीमान एस डी एम सा रायसिंहनगर एवं तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 05.02.2014 प्रभाव में है। लेकिन सरंपच ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअदांज कर व अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आलौचय आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश काबिल निरस्ती के है। अपीलांट के दादा के नाम की आवंटित उक्त अपीलाधन कृषि भूमि अनूसूचित जाति के सदस्य की है। जिसके खातेदारी अधिकार दिनांक 27.02.2010 को प्रदत हुऐ एवं अनूसूचित जाति केसदस्य को वर्ष 2010 में खातेदारी अधिकार प्रदत होने के उपरात स्वर्ण जाति के व्यक्ति रेस्पोडेन्ट सं.–1 या 2 को बैचान सभव ही नहीं है ना ही अपीलाट के बावा द्वारा रेस्पोडेन्ट सं.–1 या 2 के पक्ष में तथाकथित बैयनामा निष्पादित कर पंजीकृत करवाया। लेकिन रेस्पोडेन्ट सं.–। व 2 द्वारा रेसपोडेन्ट सं.–3 वा कर्मचारियो से मिलीभक्त कर मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर समस्त इन्तकाल की कार्यवाही को अजाम दिया है लेकिन सरंपच द्वारा तथाकथित बैयनामा की जाचं किये बिना आलौचय आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का आलीच्य आवेश काबिल निरस्ती के है। अपीलाट के दादा जो कि अनूसूचित जाति (बावरी) के सदस्य थे तथा रेस्पोडेन्ट सं.–1 वा 2 स्वर्णजाति के है। रेसयोडेन्ट सं–1 वा 2 अनुसुचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि खरीद करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में भी रेस्पोडेन्ट सं.–1 वा 2 के पक्ष में तथाकथित बैयनामा आरम्भ शुन्य एवं गैरकानूनी दस्तावेज है। जिसकी कानूनन कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअंदाज कर आलौचय आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश काबिल निरस्ती के है। इसके अलावा वरवक्त तथाकथित बैयनामा अपीलाधीन कृषि भूमि गैरखातेदारी थी जिसके खातेदारी अधिकार ही वर्ष 2010 को प्राप्त हुऐ है। ऐसी स्थिति में गैरखातेदारी भूमि का बैयनामा आरम्भ शुन्य एवं गैरकानूनी दस्तावेज है। जिसके आधार पर सरंपच को इन्तकाल करने के कतई अधिकार नहीं थे लेकिन सरपच द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर व इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू को नजरअदांज कर आलौचय आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट सं.–1व 2 द्वारा तथाकथित मिथ्या एवं फरजी बैयनामा के आधार पर एवं कर्मचारियो से मिलीभक्त कर मिथ्या रिपोर्ट तैयार करवाकर अपराधिक षड्यंत्र रचकर छल एवं कपटपूर्वक आश्य से तथाकथित इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाया है जिस सम्बध में अपीलाट द्वारा जरिये परिवाद रेस्पोडेन्टस एवं अन्य के विरूद्ध अपराधिक अभियोग थाना पुलिस अनूपगढ़ में दर्ज करवाया जा चुका है। अपीलांट जो कि मृतक सतिया का विधिक एवं प्रथम श्रेणी का विधिक वारिस है। लेकिन सरंपच द्वारा आलोच्य इन्तकाल आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं अन्य वारिसान को सुनवाई का बिला पूर्व समुचित अवसर दिये एवंबिला सुनवाई का नोटिस दिये आनन फानन में एकपक्षीय आलोच्य आदेश पारित किया है अतएव आलोच्य आदेश काबिल निरस्ती के है। सरपच ग्राम पचायंत 90 जी बी का आलोच्य इन्तकाल आदेश [illegible] 11.02.2014 का है जो कि अपीलाट को बिला पूर्व सुनवाई का अवसर दिये एव [illegible] बिना एक पक्षीय पारित किया है। जिसकी अपीलाट को पूर्व में [illegible] द्वारा पूर्व में अपीलाधीन भूमि के विरास्तन इन्तका[illegible] सम्बंध में तहसील[illegible] राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये थे जो लम्बित [illegible] 2014 में राजस्थान सरकार अनूपगढ़ क्षेत्र मे जन सुनवाई करने हेतू प्रभारी मंत्री नियुक्त कर ज[illegible]सुनवाई की गई जिसमे भी अपीलांट द्वारा आवेदप पत्र प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात माह जुलाई 2014 के प्रथम सप्ताह में अपीलांट पटवारी हल्का के पास अपने विरास्तन इन्तकाल के प्रार्थना पत्र कार्यवाही का पता करने गया तो अपीलाट को पटवारी हल्का द्वारा आलौच्य इन्तकाल दिनांक 11.02.2014 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

रेस्पोडेन्ट सं.—1 वा 2 के नाम दर्ज होने के बारे में जानकारी दी गई। जिस पर अपीलांट को आलौच्य आदेश की प्रथमबार जानकारी होने के उपरांत अपीलांट ने दिनांक 19.07.2014 को आलोच्य इन्तकाल आदेश की पटवारी हल्का से प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त की ओर अपने अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर एवं रूपये पैसो का इन्तजाम करके यह अपील तैयार करवाकर आज रोज बिनाकिसी देरी के अपील इल्म से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत पेश कर निवेदन किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय संरपच ग्राम पचायत 90 जीबी का आलौच्य इन्तकाल आदेश दिनांक 11.02.2014 निरस्त जाने किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं.—1 वा 2 के नाम अपीलाधीन भूमि का दर्ज इन्तकाल सं.—384 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री गुरबक्श सिंह उपस्थित आए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

बहस अपील सुनी गई तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश कि गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये इंतकाल निरस्त करने का निवेदन कि बैयनामा दिनांक 30.12.68 निर्णय एवं डिक्रीश्रीमान एस डी एम सा. रायसिंहनगर एवं तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 05.02.2014 की पालना में पारित किया गया है। जबकि कथित निर्णय एवं डिक्री श्रीमान एस डी एम सा. रायसिंहनगर एवं तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 05.02.2014 पत्रावली पर मौजुद ही नहीं है और ना ही ऐसी कोई निर्णय एवं डिक्री श्रीमान एस डी एम सा. रायसिंहनगर एवं तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 05.02.2014 प्रभाव में है। लेकिन सरंपच ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअदांज कर व अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आलौचय आदेश पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। यह कि अपीलांट के दादा के नाम की आवंटित उक्त अपीलाधन कृषि भूमि अनूसूचित जाति के सदस्य की है। जिसके खातेदारी अधिकार दिनांक 27.02.2010 को प्रदत हुऐ एवं अनूसूचित जाति के सदस्य को वर्ष 2010 में खातेदारी अधिकार प्रदत होने के उपरांत स्वर्ण जाति के व्यक्ति रेस्पोडेन्ट सं—1 वा 2 को बैचान सभंव ही नहीं है ना ही अपीलांट के दादा द्वारा रेस्पोडेन्ट सं.—1 वा 2 के पक्ष में तथाकथित बैयनामा निष्पादित कर पंजीकृत करवाया वर्ष 1950 में अनुसूचित जाति के सम्बधं में राजस्थान का जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें बावरी जाति अनुसूचित जाति में आती है एवं प्रश्नगत बैयनामा वर्ष 1968 का है ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति की भूमि का स्वर्ण जाति के व्यक्ति को बैचान नही हो सकता प्रश्नगत इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व किसी भी न्यायालय/कार्यालय का कोई आदेश नहीं था और ना ही ऐसा कोई आदेश रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश किया गया।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने विरोध करते हुये मुख्यतः कथन किया कि अपीलांट द्वारा जो खातेदारी के सम्बधं में दिनांक 27.02.2010 का अकन किया है जबकि खातेदारी दिनांक 10.03.1970 को जारी हो चुकी थी अपीलांट द्वारा सतीया पुत्र किशना का देहान्त दिनांक 13.07.1980 को होना बताया है जिसका कोई मृत्यू प्रमाण पत्र पेश नहीं किया बल्कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है वह सतूराम पुत्र किशनाराम निवासी 8 एम एल डी (बी) का है [illegible] अलोटी सत्तीया पुत्र किशना निवासी 87 जीबी के नाम से रक्बा आवं[illegible] पेश किया है वह भी सतूराम के नाम से जारी किया हुआ है। [illegible] अपीलांट अलोटी सतीया का वारिस ना होकर सतूराम का वारिस है। मात्र नाम मिलता जुलता होने का बेजा फायदा उठाकर यह अपील पेश की है। रेस्पोडेन्ट सं.—1 वा 2 के पक्ष [illegible] सतीया पुत्र किशना ने दिनांक 30.12.1968 को जरिये रजि बैयनामा अपील में वर्णित भूमि विक्रय कर दी थी जिसका इन्तकाल श्रीमान तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 05.02.2014 के अनुसरण में दर्ज हो चुका है तहसीलदार के आदेश दिनांक 05.02.2014 की प्रति पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:44:56 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार संरपच ग्राम पंचायत 90 जी बी का इन्तकाल आदेश दिनांक 11.02.2014 वैध एवं पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर पारित किया गया आदेश है। अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एंवम् बहस में उभय पक्षकारान द्वारा उठाये गये बिन्दूओं पर गौर किया गया। न्यायालय की राय में अपीलाट ने अपील के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र सतूराम पुत्र किशनाराम निवासी 8 एम एल डी (बी) का पेश किया गया है जबकि आंवटी सतीया पुत्र किशना कौम बावरी निवासी चक 88 जीबी का है इस से स्पष्ट है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं आवंटन आदेश के नाम में विरोधाभास है। सतीया द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 30.12.1968 के मखनसिंह व पृथ्वीसिंह को विक्रय की गई है। उक्त भूमि के सबधं में राज्य सरकार तहसीलदार द्वारा सतीया वगैरह के विरूद्व धारा 175 आरटीएक्ट का वाद पेश किया गया जो उपजिला कलक्टर रायसिहंनगर द्वारा दिनांक 31.12.1978 को खारिज किया जा चुका है वकील रेस्पोडन्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वर्ष 1976 से पूर्व राजस्थान के लिए अनसुचित जाति सूची मे अजमेर जिले को छोड़ कर अन्य जिलो मे बावरी जाति अनसुचित जाति नही थी। इसकी पुष्टि माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक निर्णय आर.आर.डी 1981 पेज 571 मोहनलाल बनाम् मघांराम से होती है। चूंकि अपीलधीन कृषि भूमि श्रीगंगानगर जिले में स्थित है जिसका अन्तरण 1976 से पूर्व किया गया है, अपीलाधीन इन्तकाल तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 05.02.2014 की अनुपालना में दर्ज किया गया है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

—:: आदेश ::—

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश सव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.31 13:44:56 IST
Reason: SelfAttested